



15



माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक

/2015-16 निगरानी

निग-1898-PPK-16

बाबुलाल पिता श्री भागीरथजी

जाति-बलाई, आयु- 57 वर्ष,

निवासी- ग्राम चंदाना तह. व जिला

देवास (म.प्र.)

— निगरानीकर्ता

श्री दिवाकर दीक्षित द्वारा आज दि. 15-6-16 को प्रस्तुत

— विरुद्ध —

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

अनुविभाग देवास (म.प्र.)

— प्रत्यर्थी

Diwakar Dixit  
Adv  
15/6/16

अधीनस्थ योग्य न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) देवास जिला देवास (म.प्र.) के द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/A-90-B/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 18/04/2016 से दुखित व क्षुब्ध होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता :-

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, ग्राम चंदाना स्थित अतिशेष घोषित काबिल कास्त भूमि सर्वे क्रमांक 621 रकबा 2.67 हेक्टेयर शासकीय घोषित होकर शासन के आधिपत्य में रही है। इस भूमि को तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा म.प्र. कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 35 के अंतर्गत भूमि का आवंटन कर निगरानीकर्ता बाबूलाल को दिनांक 30/09/2011 को प्रकरण क्रमांक 09/अ-90/ब(3)/2009-10 के द्वारा 60 वर्ष की प्रीमियम 20/- बीस रुपये प्रतिवर्ष के मान से 1200/- एक हजार दो सौ रुपये

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

5

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 1898/PBR/16

जिला - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.1.19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी <u>अनु. अग्रवाल</u>  <u>देवास</u> के प्रकरण क्रमांक <u>01.A90.B/15.16</u> में पारित  आदेश दिनांक <u>18.4.16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-  राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के  फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित  संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु  <u>अनु. अग्रवाल</u> को भेजा जाता है। उभयपक्ष  प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक <u>15-10-19</u> को  <u>कैम्प देवास</u> के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p>(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>